ग्राम पंचायत कोटगढ़ विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना:- **(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या** PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 **दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोटगढ़ विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।**

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1	**श्रीमति नाविता भैक**	23/01/2011 to 22/01/2016
2	**श्री कैलाश चंद**	23/01/2016 to till date

सचिव

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1	**श्री राजेश कुमार**	09/2008 to till date

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार :- ग्राम पंचायत कोटगढ़ के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	**पैरा संख्या**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5(ख)	**बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर बारे**	0.86
2	8	**दिनांक** 31.03.2016 **तक पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाए जाने बारे**	0.10
3	9	**औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय किए जाने बारे**	8.37
4	10	**दिनांक** 31.03.2016 **तक क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किए जाने बारे**	4.09
5	11	**मस्ट्रोल के भुगतान में विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना**	2.16
6	12	**निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध न करवाया जाना**	6.55

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोटगढ़ विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.06.2016 से 2.07.2016 के दौरान ग्राम पंचायत थानेदार के कार्यालय में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय के लिए चयनित मासों का विवरण	व्यय के लिए चयनित मासों का विवरण
2013-14	-	-
2014-15	1/2015	3/2015
2015-16	7/2015	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कोटगढ़ विकास खण्ड नारकंडा जिला शिमला के अवधि 4/2013 **से** 3/2016 **के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-**171009 **को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या** 47/2016 **दिनांक** 2.07.2016 **द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया।**

4 वित्तीय स्थिति :- ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(क) स्व स्तोत (Own Sources**):- ग्राम पंचायत कोटगढ़ के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्व: स्तोत एवं** GIA (Other Than MANREGA & Integrated Water Shed Project**) की वित्तीय स्थिति निम्न है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) पर भी दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्वारा सूचित किया गया कि:-**

(iii) दिनांक 11.12.2014 को ग्राम पंचायत कोटगढ़ कार्यालय तथा कॉम्प्लेक्स में भीषण आगजनी के कारण पंचायत के समस्त अभिलेख(रोकड़ बही , खाता बही , वाऊचर फाईले इत्यादि)

जल गये थे, जिसके परिमाणस्वरूप दिनांक 11.12.2014 से पूर्व पंचायत का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। परिशिष्ट- 1(ख)

(iiii) MANREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही MANREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को Own Sources की आय सहित बैंक खातों में जमा करवाया गया है। अत: रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है। परिशिष्ट- 1(ग)

Financial Position of Gram Panchayat Kotgarh Block Narkanda Distt. Shimla

Own Sources & GIA Recorded in General Cash Book

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	604595.86	636520.00	13913.00	1255028.86	176575.00	1078453.86
2015-16	1078453.86	1780339.00	31212.00	2890004.86	2401807.00	488197.86

Note :- दिनांक 1.01.2015 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance को भी सम्मलित किया गया है।

(ख) अनुदान(Grant in Aid):- ग्राम पंचायत कोटगढ़ के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (MANREGA & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिससे संबन्धित विवरण परिशिष्ट-1(घ) में भी दिया गया है।

Consolidated Financial Position of Grant In Aid(MANREGA & Integrated Water Shed Project)

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	90584.00	0.00	2003.00	92587.00	15.00	92572.00
2015-16	92572.00	0.00	1790.00	94362.00	85233.00	9129.00

Note :- दिनांक 01.01.2015 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance को भी सम्मलित किया गया है।

5 बैंक समाधान विवरणी

(क) ग्राम पंचायत कोटगढ़ की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार ग्राम पंचायत की मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण से दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹86110/- का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43-44/2016 दिनांक 29.06.2016 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष	488197.86
(दिनांक 01.01.2015 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance सम्मलित किया गया है।	

दिनांक 31.03.2016 को संबन्धित बैंक खातों का अंत शेष

Account No.42610100057 Of HPSCBank	486518.00
Account No. 309602010003831 of UBI Bank	62759.80
Account No. 309602010002755 of UBI Bank	25030.06
Total	574307.86
Difference	86110.00

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 अनुदान की ₹9129 का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1घ) के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक अनुदान की ₹9129 उपयोग हेतु शेष थी। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा MANREGA और Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्व स्त्रोत (Own Sources) से प्राप्त आय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अत: अंकेक्षण की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और दिनांक 31.03.2016 को अन्य अनुदानों और Own Sources के संकलित अन्तिम शेष से अन्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अन्य अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान ही व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की ₹ 9970 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹9970 वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 8.37 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹837750 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय

नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय किए गए ₹4.09 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c,एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹409329 की विभिन्न मदों जिनका विवरण परिशिष्ट-4 में दिया गया है को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 मस्ट्रोल के भुगतान के संदर्भ में विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 2.16 लाख के दुर्विनियोजन की सम्भावना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 में मस्ट्रोल द्वारा भुगतान करने की औपचारिकताए प्रावधित है। अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित मस्ट्रोल भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न मस्ट्रोल द्वारा ₹216848 के भुगतान किए गए थे , जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट-5 में दिया गया है। इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम में प्रावधित औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था। इस प्रकार औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किए जाने से मस्ट्रोल द्वारा भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: इन सभी भुगतानों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा साथ ही भविष्य में सभी मस्ट्रोल भुगतान के संदर्भ में उपरोक्त नियम में प्रावधित औपचरिकताओं को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के ₹ 6.55 लाख के भुगतान के सम्बन्ध में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध न करवाया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक की राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित

व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-6 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹655098 के व्यय के सम्बन्ध में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। निर्माण कार्यों के संदर्भ में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इन निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि के संदर्भ में पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इन सभी निर्माण कार्यों के संदर्भ में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा साथ ही निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत्र से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद पंचायत प्रधान द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ मे सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि

4/2013 से 3/2016 के दौरान पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताए

15.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न किया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है ।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्वारा हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था। जैसे कि:-

(क) रोकड़ बहियों में लेखांकित आय व्यय को पंचायत प्रधान से सत्यापित (Verified) नहीं करवाया गया था।

(ख) मास के अंत में दर्शाये गए " Cash in hand" के शेष को पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

(ग) वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15.2 खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15.3 हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय-व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। इस प्रकार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15.4 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

15.5 अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी। अत: इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

15.6 अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय , शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्धारासीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

15.7 ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय

को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही सभी रसीदों को जारी किए जाने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 लघु आपति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

17 निष्कर्ष :- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 4/2016–खण्ड–1–4937–4941 दिनाँकः14.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत **कोट्गढ़** विकास खण्ड **नारकंडा** तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड **नारकंडा**, कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0

5 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–171003

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.